

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 463/2019-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

जगदेव स्वांसी

- विक्रेता

गोमेश्री नायक

- क्रेता

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी,
तारीख सहित

05.12.20

आदेश


आवेदक जगदेव स्वांसी पिता स्व० मगदेव स्वांसी ग्राम-सेनेगुट्टु, हिट्टुटोला, पो०-भण्डरा, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने गोमेश्री नायक पिता स्व० सुखराम नायक ग्राम-सिरमा, पो०-लान्दुप, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।


ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
डहुगुट्टु	111	101	1801	0.10

अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 944 दिनांक 12.11.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता एवं क्रेता के द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण भूमि बिक्री की अनुशंसा नहीं की गयी है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आलोक में वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।